तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 5779 / 2006 / भरतपुर शहीदखां बनाम दिगम्बर वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

––

निर्णय

दिनांकः–01–05–2018

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 11–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को खारिज किया गया है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस निगरानी के संबंध में सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि विवादित आराजी कब्रिस्तान की भूमि होने से आराजी पर निर्माण कार्य करने व प्लाट बनाकर बेचने से प्रार्थी एवं मुस्लिम समुदाय को भारी क्षति पहुंच रही है एवं अप्रार्थी संख्या 5 दबाव में आकर आराजी बाबत प्रस्तुत प्रकरण को वापस लिए जाने हेतु आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आराजी में हित निहित है। आगे बताया कि दानसिंह द्वारा विवादित आराजी को दिगम्बर को बेचान किया है, जो कि अवैधानिक है। जबकि मण्डल द्वारा रेफरेंस प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार भूमि गैरमुमकिन कब्रिस्तार के रूप में दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित की है। उनका तर्क है कि मामले में जिला कलक्टर द्वारा वांछित मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 5779 / 2006 / भरतपुर शहीदखां बनाम दिगम्बर वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी पर निर्माण कार्य किया जाना स्पष्ट है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रार्थी आराजी का हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार होने के कारण आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11–8–2006 को निरस्त कर प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के संबंध में है। इस संबंध में **आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसीः–** का सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार है–

> **न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड सकेगा–** न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उनके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।

हमने आक्षेपित आदेश का परीक्षण किया है। प्रकरण की समग्र स्थिति यह है कि राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने रेफरेंस प्रकरण को निर्णय दिनांक 19–2–1997 द्वारा निस्तारित करते हुए विवादित आराजी को गैरमुमकिन कब्रिस्तान के रूप में अंकित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 5779 / 2006 / भरतपुर शहीदखां बनाम दिगम्बर वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किए जाने की आज्ञा पारित की है। उक्त निर्णय के अनुसार सम्वत 2003 की जमाबंदी में हुए इन्द्राजात के आधार पर गैरमुमकिन कब्रिस्तान दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए थे एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–2054 में हुए अंकन का आदेश में हवाला देते हुए किया गया, जो कि बंदोबस्त विभाग द्वारा परिवर्तित किया गया है। प्रार्थी का आक्षेप है कि विवादित आराजी कब्रिस्तान की भूमि होने से आराजी पर निर्माण कार्य करने व प्लाट बनाकर बेचने से प्रार्थी एवं मुस्लिम समुदाय को भारी क्षति पहुंच रही है एवं अप्रार्थी संख्या 5 दबाव में आकर आराजी बाबत प्रस्तुत प्रकरण को वापस लिए जाने हेतु आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आराजी में हित निहित है। इसके अतिरिक्त दानसिंह द्वारा विवादित आराजी का दिगम्बर के पक्ष में बेचान किया है, जो कि अवैधानिक है। चूँकि स्वयं आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में पक्षकार संयोजित नहीं किए जाने का आक्षेप उठाया है। किसी दावे में यदि व्यथित पक्षकार को वादी द्वारा संयोजित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में वाद बाहुल्यता को बढावा मिलना सम्भाव्य है। दूसरी ओर हितबद्ध व व्यथित व्यक्ति को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद का समुचित रूप से विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित निस्तारण भी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आवदेक को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना वाद के समुचित निर्णय हेतु आवश्यक हो जाता है। न्यायालय के सामने उपस्थित वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक होने पर सभी हितबद्धियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 5779 / 2006 / भरतपुर शहीदखां बनाम दिगम्बर वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की भी यही मंशा है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष अंकित करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को खारिज करने में भूल की है।

निगरानी मीमों में अभिवचित वचनों तथा प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में आवेदक/प्रार्थी को न्याय हित में आवश्यक पक्षकार स्थापित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है तथा जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-8-2006 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 की कार्यवाही में आवेदक को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी को उनके समक्ष प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में अप्रार्थी पक्ष संयोजित कर उपलब्ध रेकार्ड तथा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण कर सभी पक्षकारों की बहस सुनकर विचाराधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 5779 / 2006 / भरतपुर शहीदखां बनाम दिगम्बर वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए